कार्यालय, बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या–02(बन्दो0)/2021

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में नालन्दा जिला अन्तर्गत भू–सर्वेक्षण कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले प्रपत्रों यथा–प्रपत्र–3.2 एवं प्रपत्र–6 की छपाई एवं आपूर्ति (पेपर सहित) हेतु दर निर्धारण की आवयकता है। प्रपत्रों की छपाई एवं आपूर्ति (पेपर सहित) के दर निर्धारण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकि एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के पदनाम से मो0 10,000/– (दस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता दिनांक–31.07.2021 के अपराह्न 3:00 बजे तक बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा में निविदा दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा अगले दिनांक–02.08.2021 दोपहर 12.00 बजे गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वंय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

प्रपत्रों की छपाई एवं आपूर्ति संबंधी विवरणः–

प्रपत्र– 3.2 एवं प्रपत्र– 6 A3 साईज पेपर पर दोनो साईड प्रिटिंग के साथ आपूर्ति बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा में करना होगा।

तकनीकि निविदा की आवश्यक शर्तेः–

I. मो0 10000/– (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के पदनाम से होना अनिवार्य होगा।

II. पिछले दो वर्ष का आयकर रिटर्न

III. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र

IV. पैन नम्बर

V. अनुभव प्रमाण पत्र

VI. संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को किसी विभाग/कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।

वित्तीय निविदाः–

- सीलबंद लिफाफे में A3 पेपर पर दोनो साईड छपाई का दर (पेपर सहित) सभी कर सहित स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा।

निविदा की अन्य शर्तेः–

1. संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
2. राशि का भुगतान प्रपत्रों के छपाई के उपरांत आपूर्ति के पश्चात् सभी अनुमान्य करो की कटौती के पश्चात् किया जायेगा।
3. राशि का भुगतान अपरिहार्य कारण से विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
4. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय छपाई कर आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं या द्वितीय नं0 के विडर से कार्य कराया जा सकता है तथा स्वीकृत निविदादाता द्वारा दिये गये जमानत की राशि को जब्त करने एवं काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।
5. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाता की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।
6. बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
7. विशेष जानकारी के लिए सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय के दूरभाष सख्या–9471400690 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा जिला पदाधिकारी, नालन्दा के बेबसाईट http://nalanda.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
8. जिस आपूर्तिकर्त्ता को उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार हो वैसे आपूर्तिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते है।

16/11/2021

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
नालन्दा।